(Court fee stamps: कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20; 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5; 5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5)

(103)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-3265/II/201-

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

मयंक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी
निवासी ग्राम बडोनीकला
तहसील व जिला-दतिया म.प्र.

विरुद्ध

1. सतीश
2. राजकुमार
3. महेन्द्र कुमार
4. संजय कुमार पुत्रगण स्व.श्री राधेश्याम चतुर्वेदी
5. शैलेन्द्र
6. धर्मेन्द्र पुत्रगण हरिहर चौबे
निवासी ग्राम बडौनी तहसील व जिला दतिया म.प्र.
7. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामसेवक चतुर्वेदी
निवासी ग्राम बडोनीकला
तहसील व जिला--दतिया-म.प्र.

दिनाँक 5-10-15 को श्री कमल के. बाजपेयी अभि॰ द्वारा प्रस्तुत।

5-10-15

SO

अनुविभागीय अधिकारी जिला--दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/2012--13 में पारित आदेश दिनांक 20--08--2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा--50 म.प्र. भू--राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है--

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी का विवादित आदेश अवैध, अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसील नियमानुसार कार्यवाहीं करने के पश्चात दिनांक 17--05--2012 को आदेश पारित किया था जिसकी जानकारी अनावेदकगण को आरंभ से ही थी अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समयबाधित है अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसे समय बाधित अपील को समयावधि में मानने में अपने विवेकाधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, इस प्रकरण से संबंधित भूमि की अभिलिखित भूमि स्वामी हसन जू उर्फ ज्ञान जू थी उनके कोई पुत्र अथवा पुत्री न होने से वे आवेदकगण के साथ ही रहती थी स्व.हसन जू ने आवेदक के हित में दिनांक 26--03--2002 को दो निष्पक्ष साक्षियों, मुकेश कुमार एव बच्ची लाल की उपस्थिति में वसीयतनामा निष्पादित किया था एव उसे नोटरी से प्रमाणित कराया था.

4. यह कि, आवेदक ने हसन जू द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर अपने नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपर तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 14/अ--6/2011--12 में पारित आदेश दिनांक 17--05--2012 द्वारा आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया.

[signature] 5/10/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

…रण क्रमांक- निग./3265/दो/2015 जिला दतिया

मयंक कुमार विरुद्ध सतीश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकरी जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-34/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 31/5 सदस्य	